न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 23/2019 (राजसमन्द डिक्री)

हमेरसिंह उर्फ हमेरा पिता नन्दासिंह जी, जाति उठड राजपूत, निवासी अंगोर की भागल, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. नानसिंह उर्फ नाना पिता नन्दासिंह उर्फ नन्दा जी, जाति उठड राजपूत, निवासी अंगोर की भागल, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)
2. हीरसिंह उर्फ हीरा पिता नन्दासिंह उर्फ नन्दा जी, जाति उठड राजपूत, निवासी अंगोर की भागल, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)
3. तेजसिंह पिता नन्दासिंह उर्फ नन्दा जी, जाति उठड राजपूत, निवासी अंगोर की भागल, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा (वर्तमान में खमनोर)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा
दिनांक 29.03.2010 प्र.सं. 344/2006

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री खेमराज डांगी अभिभाशक अपीलान्ट
2– श्री राम कृपा भार्मा अभिभाशक रे॰सं॰ 1 से 3
3– श्री कमले ा चौहान राजकीय अभिभाशक

———::———

निर्णय **दिनांक 12–10–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 द्वारा एक वाद बाबत विभाजन का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के परिवार का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर मूलपुरूश नन्दासिंह उर्फ नन्दा जी थे, जिसके 4 पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हैं। राजस्व ग्राम अंगोर में वाद पत्र की कलम

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:46 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 वर्णित परिशिष्ट ''अ'' की आराजी नंबर 4242 रकबा 5 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 3/4 हिस्सा है एवं खातेदार डालूसिंह पिता नन्दा लाऔलाद फोत होने से उनके उत्तराधिकारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हैं। परिशिष्ट ''ब'' की आराजी नंबर 4509 रकबा 5 बिस्वा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का बराबर–बराबर हिस्सा दर्ज है। परिशिष्ट ''स'' की आराजी नंबर 4287, 4292 से 4294 कुल किता 4 रकबा 14 बीघा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज हैं। परिशिष्ट ''द'' की आराजी नंबर 4273, 4317, 4375, 4396 से 4398, 4504, 4518, 4553 किता 9 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के खातेदारी में बराबर–बराबर हिस्से से दर्ज है। परिशिष्ट ''य'' की आराजी नंबर 3797, 3970, 3983 किता 3 रकबा 11 बिस्वा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। परिशिष्ट ''र'' की आराजी नंबर 3932, 3985 किता 2 रकबा 19 बिस्वा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/2 हिस्सा बराबर–बराबर दर्ज है। परिशिष्ट ''ल'' की आराजी नंबर 556, 2045, 2597, 3783, 3846, 3978 किता 6 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/4 हिस्सा दर्ज है। परिशिष्ट ''व'' की आराजी नंबर 3964 से 3966 किता 3 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में है। उक्त आराजियात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच दिनांक 27–05–1999 को मौके पर विभाजन होकर इसी अनुसार काबिज हैं, किन्तु मौके पर रेकार्ड में बंटवारा नहीं हुआ है। अतः उपरोक्तानुसार विवादित आराजियात का विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सजरा अधूरा प्रस्तुत किया गया है। नन्दाजी की पुत्रियों को सजरे में नहीं दर्शाया गया है न ही नन्दा के पुत्र डालु को सजरे में दर्शाया गया है। विवादित भूमियों का मौके पर विधिवत विभाजन होकर पक्षकारान उसी अनुसार काबिज हैं। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible] आधार पर प्रकरण में दिनांक 20–11–2007 को 6 तनकियात कायम [illegible] एवं अपने निर्णय दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:46 IST
Reason: SelfAttested

17–11–2009 से वादी का वाद आंि ाक रूप से स्वीकार कर वाद प्रारम्भिक डिक्री किया गया। तत्प चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 29–03–2010 को अंतिम डिक्री जारी की गयी, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 29–05–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री राम कृपा भार्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अभिभाशक श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की प्रथम बार जानकारी दिनांक 07–03–2019 को पटवारी हल्का के माध्यम से हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया है। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण पर करने के दृश्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि पक्षकारान के मध्य पूर्व में विभाजन होकर पक्षकारान उसी अनुसार काबिज है। स्वयं वादी ने अपने वाद में दिनांक 27–05–1999 को विभाजन होने का कथन किये है, जिसे रेकार्ड पर लिये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय ने नये सिरे से विभाजन की डिक्री पारित कर दी, जो त्रुटि पूर्ण है। पालना रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की गयी है तथा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व उभयपक्षों को सूचना नहीं दी गयी है तथा उनकी अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:46 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि स्वयं वादी ने अपने वाद की कलम संख्या 5 में पक्षकारों के मध्य पूर्व में दिनांक 27–05–1999 को विभाजन होने का कथन कर उसके अनुसार काबिज होना बताया है, किन्तु उक्त विभाजन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्ड पर लिये बिना ही नये सिरे से विभाजन की डिक्री जारी कर दी गयी है, जो त्रुटि पूर्ण है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं कि बंटवारा प्रस्ताव अपीलान्ट की अनुपस्थिति में भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है, जबकि बंटवारा प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा उभयपक्षों की उपस्थिति में तैयार किया जाना चाहिए था। तद्नुसार उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतिम डिक्री जारी की गयी है वह विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–03–2010 अपास्त की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 12–10–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:46 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

हमेरसिंह उर्फ हमेरा पिता नन्दासिंह जाति उठड राजपूत, निवासी अंगोर की भागल सगरूण, तहसील खमनोर जिला उदयपुर बनाम **नानसिंह उर्फ नाना पिता नन्दासिंह उर्फ नन्दाजी, जाति उठड राजपूत, निवासी अंगोर की भागल सगरूण, तह.खमनोर, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**23 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **नाथद्वारा** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**29**.....माह.....**03**.....**2010**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**12**...माह.....**10**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री खेमराज डांगी**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री राम कृपा भार्मा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–03–2010 अपास्त की जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**12**.....माह.....**10**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:22:46 IST
Reason: SelfAttested